Bihar board notes class 8th civics chapter 7 सहकारिता

पाठ का सारांश- कई कामों को लोग अकेले चाहकर भी नहीं कर पाते । वैसे कामों को लोग समूह में करते हैं जो कभी-कभी संगठन का रूप ले लेता है। इसी को सहकारिता कहते हैं। सहकारिता शब्द दो शब्दों के योग से बना है-सह तथा कारिता । सह का अर्थ है 'मिलकर' तथा 'कार' का अर्थ है कार्य । इस प्रकार सहकारिता का अर्थ हुआ मिल-जुलकर काम करना ।
इसके तहत लोग अपने आर्थिक हितों की पूर्ति एवं उन्नति के लिए अपनी इच्छा से, परस्पर मिल-जुलकर काम करते हैं।

प्राथमिक कृषि साख समिति (पैक्स)– सरकार ने पैक्स **(Primary Agricultural Credit Co-operative Society)** का गठन कृषकों के कल्याण तथा उनकी कृषि सम्बन्धी जरूरतों को पूरा करने के लिए किया है। कोई भी किसान निर्धारित सदस्यता शुल्क और एक शेयर की राशि देकर इसका सदस्य बन सकता है। पैक्स अपने सदस्यों के लिए बैंक का कार्य
करता है जहाँ किसान अपनी बचत जमा करते हैं।

उपभोक्ता सहकारी समिति—इस प्रकार की समिति की स्थापना का उद्देश्य थोक व्यापारी अथवा उत्पादकों से सीधे अधिक मात्रा में माल खरीदकर अपने सदस्यों को सस्ते दर पर उपलब्ध कराना है। ये समितियाँ वित्तीय आधार पर कमजोर लोगों को व्यापारियों व दलालों द्वारा किये जाने वाले शोषण से बचाती हैं। अत: सहकारी समितियों की स्थापना किसी भी क्षेत्र में पारस्परिक समस्याओं का समाधान निकालने और वहाँ के लोगों की जीविका या रोजमर्रा के जीवन से. सम्बन्धित समस्याओं या मुश्किलों को कम करने के लिए किया जाता है ।

सहकारी समिति की विशेषताएँ एवं कमजोरियाँ—इनका काम निजी व्यवसाय से अलग है। इसमें व्यक्तिगत लाभ के स्थान पर सामूहिक हित पर जोर दिया जाता है।

सबके लिए सदस्यता—इसमें किसी भी वर्ग का व्यक्ति अपनी इच्छा से सम्मिलित हो सकता है। पर, इससे कुछ गलत लोग भी इन समितियों में शामिल हो जाते हैं। ये अपना व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्ध कर लाभ का बड़ा हिस्सा स्वयं हड़प करना चाहते हैं।

समानता :- सहकारी समिति के सभी सदस्यों को समान अधिकार प्राप्त होते हैं। इसकी व्यवस्था में सदस्यों की भागीदारी पर जोर दिया जाता है। इसमें कार्यकारिणी होती है। सदस्यों का चुनाव आम सभा के मतों के आधार पर होता है। प्रत्येक सदस्य को मत देने का अधिकार होता है । सदस्यों की संख्या अधिक होने से गलत लोग भी इसमें आ जाते हैं तो इसका लोकतांत्रिक स्वरूप नष्ट हो जाता है।

लाभ का विभाजन—इसमें लाभ का विभाजन न्यायपूर्ण ढंग से होता है।
ये समितियाँ समाज के गरीब, पिछड़े तथा सीमित साधनों वाले लोगों के विकास में पूरा सहयोग देती हैं।

https://www.evidyarthi.in/